उपरोक्त

वक्तव्य प्रतिवादी अरविन्द किशोर वकील, अपीलांट व अपीलांट को अवगत कराया गया। वाद का अवगत किया जाने के उपरान्त न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने से अपील अपीलांट अपील वापी अपील अनुसार खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नियम फैसला शुमार होकर नकल के बाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ